


4-6
25

पत्रावली पेश । वकील वादी व वादी को
आवाज लगाई गई । बार-बार अज्ञान
लगाने के बावजूद भी वकील वादी व
वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने
पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम
परवी में खारिज किया जाता है ।
पत्रावली फैसल इम्बार होकर मम्बर
से कम होकर दाखिल दफतर है ।


उपग्रण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)